कार्यालयः—मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीतापुर।
पत्र संख्याः न—18/एफ0एस0—2021 दिनांकः मार्च 22 ,2022

सेवा में,

प्रवन्धक/प्राचार्य,
सेकेड हार्ट इण्टर कालेज,
निकट—द्वितीय वाहिनी पी0ए0सी0
जनपद—सीतापुर।

विषयः—सेकेड हार्ट इण्टर कालेज, निकट द्वितीय वाहिनी पी0ए0सी0 जनपद—सीतापुर में स्थापित प्राथमिक अग्निशामक यन्त्रों (फायर एक्सटिंग्युशर) का कियाशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांकः 14.03.2022 के कम में आपके उपरोक्त शैक्षिक भवन में अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व से स्थापित प्राथमिक अग्निशामक यंत्रों (फायर एक्सटिंग्युशर) का निरीक्षण कराया गया तो स्टोर्ड प्रेशर टाइप अग्निशामक यन्त्र क्षमता 04 के0जी0 34 अदद व सी0ओ0टू0 अग्निशामक यन्त्र क्षमता 4.5 के0जी0 के 04 अद्द एवं फोम टाइप अग्निशामक यंत्र क्षमता 09 लीटर 02 अदद उपलब्ध पाये गये, जो समस्त कार्यशील दशा में हैं। कालेज प्रवन्धन द्वारा अग्निशामक यंत्रों का परीक्षण शुल्क भारतीय स्टेट बैंक सीतापुर के चालान संख्या—LE 00049 पर रू0—400/ दिनांकः 14.03.2022 को राजकीय कोष में जमा कराया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्राथमिक अग्निशामक यन्त्रों (फायर एक्सटिंग्युशर) का कार्यशीलता प्रमाण—पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त शैक्षिक भवन में स्थापित प्राथमिक अग्निशामक यंत्रों को सदैव कार्यशील बनाये रखने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/प्राचार्य की होगी। अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की अनुपलब्धता/अकार्यशील दशा में निर्गत किया जा रहा प्रमाण—पत्र निर्गमन की तिथि से ही स्वतः निरस्त समझा जायेगा। प्रत्येक वर्ष विहित फीस राजकीय कोष में जमा कराकर अग्निशमन व्यवस्थाओं का कियाशीलता प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

22/3/2022

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
सीतापुर।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
सीतापुर